ज्ञान तत्व 206, 15.8.10से 31.8.10 तक

(क) लेख, इस्लामिक आतंकवाद उसके धार्मिक कट्टरवाद का परिणाम

(ख) ओमप्रकाश दुबे जी के सर्वोदय संबंधी प्रश्न का उत्तर ।

(ग) ए0के0 अरूण तथा कुछ अन्य के द्वारा भोपाल गैस कांड संबंधी प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(घ) मस्तराम कपूर के जाति जनगणना संबंधी प्रश्न का उत्तर ।

(च) एम0 जी0 वैद्य तथा अन्य द्वारा संघ परिवार संबंधी प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(छ) काश इंडिया में प्रकाशित दो टिप्पणियां ।

(1) फूट डालो और राज करो (2)न्याय और कानून के बीच बढ़ती दूरी

इस्लामिक आतंकवाद उसके धार्मिक कट्टरवाद का परिणाम

आज पूरी दुनिया में इस्लाम बचाव की मुद्रा में है। सारी दुनिया में उसकी नीयत पर संदेह खड़ा हो गया है। फ्रान्स ने कानून बनाकर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। वहॉ के मुसलमान मानवता, न्याय, लोकतंत्र आदि की भी दुहाई देते रहे और आंख दिखाने की भी कोशिश कर चुके किन्तु दुनिया का दिल जरा भी नहीं पसीजा क्योंकि दुनिया जानती है कि इस्लाम जहॉ बहुमत में होता है वहॉ अधिकतम अत्याचार करता है और जहॉ अल्पमत में होता है वहॉ न्याय, लोकतंत्र, मानवता, की भीख मांगता है या अपनी संगठन शक्ति के बल पर अन्यों को ब्लैक मेल करता है। भारत में अब तक इस्लाम अल्पमत में है। वह लगातार अपनी संगठन शक्ति के आधार पर मुसलमानों के वोट एकजुट रखता है और सभी राजनैतिक दलों को ब्लैक मेल करता रहता है। भाजपा सहित सभी राजनैतिक दल उसके संगठित वोटों की लालच में उसकी खुशामद करते रहते हैं। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों की राजनैतिक स्थिति भिन्न है। वहॉ या तो इस्लाम बहुमत में है या अन्य राजनैतिक दल इस्लाम के संगठित वोटों के दबाव में नहीं। दूसरी बात यह भी है कि अन्य देशों के लोगों ने इस्लाम को मानवता के विरूद्ध शत्रु नम्बर एक मानना शुरू कर दिया है और वहॉ की राजनीति का स्तर भारत सरीखा नीचे नहीं गिरा है। इसलिये वहॉ जनहित राष्ट्रहित से उपर है और राष्ट्रहित दलहित से। वहॉ राजनीति में सत्ता पक्ष को विपक्ष माना जाता है शत्रु पक्ष नहीं। भारत में राजनीति पूरी तरह व्यवसाय बन जाने से दलहित को राष्ट्रहित से और राष्ट्रहित को जनहित से उपर समझने की परिपाटी है। संगठित वोट भारत की इस राजनैतिक स्थिति का लाभ उठाते हैं और इन लाभ उठाने वालों में इस्लाम का स्थान सबसे उपर है।

अभी अभी केरल और कर्नाटक में लव जेहाद की योजना प्रकाश में आई। धर्मान्ध मुस्लिम युवक विदेशी मुस्लिम संगठनों से धन पाकर लव जेहाद को संचालित करते हैं। ये युवक किसी हिन्दू लड़की से शारीरिक संबंध बनाकर उससे निकाह कर लेते हैं। उस लड़की को धीरे धीरे आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है तथा जब वह लड़की पूरी तरह धर्मान्ध हो जाती है तब उसे तलाक देकर छोड़ दिया जाता है। दूसरे लोग उसे आश्रय देकर उससे आतंकवाद का काम लेते हैं। विदेशी मुस्लिम संगठन किसी अन्य लड़की से निकाह के लिये पृथक से सहायता करते है और तलाक के समय अलग से। ऐसी घटनाऍ जब केरल और कर्नाटक में ज्यादा होने लगीं तब वहॉ का हाई कोर्ट सक्रिय हुआ और उसने सरकार को जांच करने का आदेश दिया। इसी बीच केरल के मुख्य मंत्री अच्युतानन्दन ने दिल्ली में एक बयान दिया कि पोपुलर फ्रंट नामक मुस्लिम

संगठन केरल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तब्दील करने के उद्वेश्य से लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है जो खतरनाक है। अच्युतानन्दन मार्क्सवादी सरकार के मुख्यमंत्री हैं और मार्क्सवादी इस्लाम समर्थन के लिये पूरे विश्व में विख्यात हैं भारत में तो विख्यात के साथ साथ कुख्यात भी है।किन्तु जब पानी सर से उपर जाने लगा तब मुख्यमंत्री अच्युतानन्दन जी ने हल्की सी टिप्पणी कर दी। कांग्रेस पार्टी तत्काल ही लाभ उठाने के प्रयास में सक्रिय हो गई। उसने मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठानी शुरू कर दी। केरल के अनेक मुस्लिम संगठनों ने भी मुख्यमंत्री का जोरदार विरोध किया। बेचारे मुख्यमंत्री अलग थलग पड़कर सफाई देते फिर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि लव जिहाद इस्लाम का एक खतरनाक खेल है किन्तु अब तक इस संबंध में कहीं से कोई आवाज नहीं उठी।

अफगानिस्तान में कानून है कि कोई इसाई या हिन्दू तो मुसलमान बन सकता है किन्तु मुसलमान इसाई या हिन्दू नहीं बन सकता। यदि बन जाय तो कानून उसे फांसी तक दे सकता है। वहॉ के कुछ मुसलमान चुपचाप इसाई हो गये। पता लगते ही उन्हें कानून का डर सताने लगा। वे भागकर भारत आये। ऐसे इसाइयों की संख्या पंचासों है जो भारत में रह रहे हैं। उनकी वीसा की अवधि समाप्त होते ही उन्हें अफगानिस्तान जाना होगा जहॉ का जल्लादी कानून उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। भारत सरकार के अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध है किन्तु भारत सरकार यह मुद्दा नहीं उठा सकती क्योंकि भारत के मुस्लिम वोट नाराज हो सकते हैं। अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई भी इस कानून को अन्यायपूर्ण मानते हैं किन्तु कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कुछ करते ही तालिवान मजबूत हो सकते हैं। विचित्र बात है कि मानवता की आवाज उठाते ही मुस्लिम जगत का भारी विरोध संभव है। इसलिये चुप रहना ही बेहतर है। उससे भी ज्यादा आश्यर्च तो कांग्रेस पार्टी के रवैये पर है जिसे न समाज की परवाह है न राष्ट्र की। उसे परवाह है सिर्फ मुस्लिम वोट की। यदि मुसलमान इकट्ठे होकर थोक में उसे साथ दे दें तो चाहे वे कितने भी अमानवीय कार्य क्यों न करें, कांग्रेस पार्टी उनकी वकालत करती रहेगी।

अभी एक सप्ताह पूर्व ही पाकिस्तान में दो इसाई युवकों को ईश निन्दा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में कानून है कि यदि कोई व्यक्ति मुहम्मद साहब की आलोचना करेगा तो उसे फांसी तक दी जा सकती है। बेचारे नवजवान जेल में बंद हो गये। इस्लाम में धार्मिक मान्यता है कि मुहम्मद साहब की आलोचना करने वाले की जो मुसलमान हत्या कर देगा वह सीधा स्वर्ग जायेगा। पाकिस्तान में सीधे स्वर्ग जाने की होड़ मची। यदि उन दोनों युवकों को कोर्ट से फांसी होती तो कुछ मुसलमान स्वर्ग जाने से वंचित हो रहे थे। अतः न्यायालय में घुसकर दोनों इसाई युवकों की हत्या कर दी गई। कहीं कोई खास आवाज नहीं उठी। भारत में तो किसी तरह की चर्चा भी नहीं उठी। एक ओर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, केरल के मुसलमानों के उदाहरण और दूसरी ओर हिन्दुओं का इतिहास कि यदि कोई हिन्दू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जावे तो वह हिन्दू नहीं बन सकता। है क्या दुनिया में ऐसा एक पक्षीय उदार उदाहरण। इसके बाद भी राजनैतिक दांव पेंच हिन्दू साम्प्रदायिकता की बात करता है तब चिन्ता होती है। संघ परिवार की लाख छटपटाहट के बाद भी आज भारत का सामान्य हिन्दू अपनी विचारधारा पर कायम है किन्तु उसे चिन्ता होती है कि उसके साथ कहीं न कहीं छल हो रहा है। चाहे अन्य हिन्दू चिन्तित हों या न हों किन्तु मैं तो चिन्तित हूॅ। इस्लाम में सूफी सन्तों की विचारधारा लगातार कमजोर हो रही है और कट्टरवाद बढ़ रहा है। आम मुसलमान अविश्वसनीय हो रहा है। पूरी दुनिया में हो रहा है और भारत में भी हो रहा है। हवाई जहाज में बैठी महिला पड़ोसी की दाढ़ी देखकर आतंकित हो जाती है और चिल्ला उठती है तो जहाज रोकनी पड़ती है। हमारे भारत के सम्मानित खिलाड़ी को खान नाम होने से ही अमेरिका में घंटों जांच के लिये रोका गया क्योंकि वे मुसलमान होने से संदेह के घेरे में थे। भारतीय

जनता पार्टी के नेता को इसलिये वीसा नहीं मिला कि उनके नाम के साथ हुसैन शब्द जुड़ा था। बेचारी शबाना आजमी को भी हिन्दू मुहल्ले में घर खोजने में कठिनाई हो रही है। साजिद रसीद और आरिफ मोहम्मद जी सरीखे धर्म निरपेक्ष मुसलमानों की भी गेहूँ के साथ धुन की स्थिति बनती जा रही है।

विदेशों के मुसलमान क्या सोचते हैं यह दूर की बात है किन्तु भारत के मुसलमानों को तो अपनी स्थिति साफ करनी ही चाहिये कि वे इन घटनाओं के विरूद्ध हैं या नहीं। उन्हें तीन प्रश्नों पर अपना रूख स्पष्ट करना चाहिये कि 1 पाकिस्तान या अफगानिस्तान के कानून उनकी नजर में किस सीमा तक और क्यों उचित हैं? क्या भारतीय मुसलमान इन कानूनों को साम्प्रदायिक तथा अत्याचार मानते हैं?

2. यदि भारत में मुसलमान बहुमत में हुए तो ऐसे अत्याचारी कानून नहीं बनाये जायेंगे। क्या भारतीय मुसलमान ऐसी घोषणा कर सकते हैं।

3. यदि भारत के हिन्दू वर्तमान भारत में ईश निन्दा कानून बनाना चाहें जैसा पाकिस्तान या अफगानिस्तान में है तो क्या यहॉ के मुसलमान चुप रहेंगे?

हमें इन तीन प्रश्नों के साफ साफ उत्तर चाहिये। चुप रहने से धुंध छटने वाली नहीं है क्योंकि अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। अब तक तो आपके समक्ष गंभीर खतरा नहीं था क्योंकि संघ परिवार की अदूरदर्शिता आपके लिये ढाल का काम करती थीं। अब तो संघ परिवार हिन्दुत्व के मामले में महत्वहीन हो गया है। जब केरल का मार्क्सवादी मुख्यमंत्री आपकी कट्टरता से परेशान हो गया है तो आप आत्मनिरीक्षण करने में देर क्यों करें? जब मेरे जैसे व्यक्ति को जिसे संघ परिवार आज भी अपना विरोधी नम्बर एक समझता है उसके मन में भी गहरे संदेह की दीवार मजबूत होती जा रही है तो आप उत्तर देने में देर क्यों करें? यदि भारत के मुसलमान उत्तर न भी दें तो हमारे क्षेत्र के स्थानीय मुसलमानों को तो पहल करनी ही चाहिये क्योंकि हमें और आपकों लम्बे समय तक भाई भाई के रूप में शान्ति पूर्वक एक ही जगह रहना है। मैं आपका पड़ोसी हूँ और मुझे संदेह हो गया है कि आप खतरनाक है और जो कहीं और से संचालित हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

अन्त में मैं चाहता हूँ कि हमारे आपके बीच जीवन्त संवाद शुरू हो । उपर की तीन घटनाओं में से मेरी कोई जानकारी असत्य हो या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत की गई हो तो आप अवश्य मुझे बताइये। मैं सुधार करूँगा किन्तु मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस मुद्दे पर देश भर में एक गंभीर बहस छिड़े।

प्रश्नोत्तर

(ख) श्री ओम प्रकाश दुबे, सदस्य लोक स्वराज्य अभियान नोयड़ा

प्रश्न— मैं लम्बे समय से आपके साथ जुड़ा हूँ। मेरी सक्रियता सर्वोदय में भी रहती है। आप प्रायः ज्ञानतत्व के माध्यम से सर्वोदय की आलोचना करते रहते हैं जिससे मुझे सर्वोदय में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। मैं लोक स्वराज्य अभियान में भी पंद्रह वर्षो से आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सर्वोदय के संबंध में लिखते समय हमारी कठिनाइयों का भी ध्यान रखें तो अच्छा होगा।

उत्तर—मैं सिर्फ ज्ञान यज्ञ परिवार का ही संरक्षक हूॅ तथा उसी में मेरी सहभागिता रही है। मैं लोक स्वराज्य अभियान का न कभी पदाधिकारी रहा न ही सहभागी। मैं सदा लोक स्वराज्य अभियान का सहयोगी मात्र रहा। आपको सहभागी, सहयोगी समर्थक प्रशंसक समीक्षक, आलोचक विरोधी और शत्रु के बीच का अन्तर समझना चाहिये।

लोक स्वराज्य अभियान जहॉ तक व्यक्ति परिवार गांव को इकाईगत स्वतंत्रता देने का पक्षधर है वहीं तक मेरा सहयोग या समर्थन रहता है। इससे उपर जाकर लोक स्वराज्य अभियान व्यक्ति परिवार गांव के अपने इकाईगत अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए स्वयं का अनुशासन स्थापित करने की कोशिश करता है तो मैं उस मामले से स्वयं को अलग कर लेता हूॅ। आपने अभी रामानुजगंज में सम्पन्न बाईस जुलाई की बैठक में भी देखा होगा कि ग्राम सभा सशक्तिकरण की सहायता के लिये बनी लोक स्वराज्य अभियान समिति ने एक सौ तीस गांवों के लिये बनी स्थानीय समिति के उपर अपनी वरीयता की घोषणा की तो मैंने उससे अपनी असहमति व्यक्त की। मैं पूरी तरह अकेन्द्रीयकरण का पक्षधर हूॅ, विकेन्द्रीयकरण का समर्थन कर सकता हूॅ तथा केन्द्रीयकरण का विरोधी हूॅ। ठाकुर दास जी बंग तथा दुर्गा प्रसाद जी आर्य आदि भी केन्द्रीयकरण के पूरी तरह विरूद्ध हैं चाहे वह केन्द्रीयकरण सत्ता का हो या धन सम्पत्ति का। यही कारण रहा कि मैं हमेशा लोक स्वराज्य अभियान का सहयोगी रहा हूॅ और आज भी उसी आधार पर मैंने केन्द्रीयकरण के विरूद्ध मत व्यक्त किया है।

मैं परिवार और गांव की इकाईगत स्वतंत्रता पर उपर से निर्णय थोपने के जिस तरह खिलाफ हूॅ उसी तरह मैं दूसरों पर अपना निर्णय थोपने या दूसरों द्वारा मुझ पर अपना निर्णय थोपे जाने के भी खिलाफ हूॅ। मैं कभी न सर्वोदय के साथ रहा न संघ के साथ। किसी भी व्यक्ति या संगठन के विरूद्ध या पक्ष में लिखने बोलने की मेरी अपनी स्वतंत्रता है और मैं अपनी स्वतंत्रता के उपर आप सबकी सलाह तो सुन सकता हूॅ किन्तु बंधन स्वीकार नहीं कर सकता। बंग जी, दुर्गा प्रसाद जी, महावीर सिंह जी आदि ने भी कभी ऐसा बंधन नहीं लगाया है और आपको भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिये। आपने पिछले चार वर्षो में कई बार मुझ पर दबाव बनाया कि मैं महंगाई संबंधी अपने विचार से पीछे हट जाउॅ। आपने कई बार गरीब और धनी के बीच भी पूॅजीपतियों के विरूद्ध कटु भाषा का प्रयोग किया। किन्तु मैं चुप रहा क्योंकि आपको भी अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे। यदि आपके मन में पूंजीपतियों के विरूद्ध कोई आक्रोश है तो वह आक्रोश व्यक्त होना कोई बुरी बात नहीं। मैं गांधी हत्या में गोडसे के कार्य का सदा विरोधी रहा ओर आज भी हूॅ। किन्तु मैंने नक्सलवाद समर्थक विनायक सेन, कुख्यात अपराधी सोहराबुद्दीन अथवा संसद पर आक्रमण करने वालों के प्रति सर्वोदय के नरम रूख की सदा आलोचना की है और मैं ऐसी समीक्षा की अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ सकता। आपको यदि मेरी कोई बात गलत लगती है तो आपको भी मेरे विचारों का विरोध करने की पूरी स्वतंत्रता है और मैंने पूर्व में भी आश्वासन दिया है और आज भी देता हूॅ कि आपके विचार ज्ञानतत्व में भी छपते रहेंगे। किन्तु यदि मेरे लिखने से सर्वोदय या किसी और संगठन की पोल खुलती है और उससे किसी को कष्ट होता है तो मुझे उस कष्ट से कोई कष्ट नहीं होता। मैंने जिस समय सर्वोदय के सर्वोच्च पदाधिकारी रामचन्द्र जी राही की दो तीन बार समीक्षा की थी तब भी सर्वोदय के कुछ मित्रों को भारी कष्ट हुआ था। मेरठ बैठक में आप सबने इस विषय पर बहुत दबाव बनाया था पर मैं नहीं माना। अब आप सबने राही जी को हटाकर सुव्वाराव जी सरीखे उज्जवल व्यक्तित्व को वह दायित्व दिया जो मेरी दृष्टि में एक प्रशंसनीय कार्य है। अब मुझे इस विषय में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं रही ।

मैं पुनः स्पष्ट कर दूँ कि मैं आपका या लोक स्वराज्य अभियान का सहयोगी और समर्थक तक ही सीमित हूँ। जब तक आप लोक स्वराज्य की दिशा में सक्रिय है तब तक आपको तथा लोकस्वराज्य से जुड़ी अन्य सभी संस्थाओं को मेरा निःशर्त समर्थन और सहयोग है और रहेगा। आप मेरा समर्थन सहयोग चाहें या न चाहें यह आपकी स्वतंत्रता है। मुझे आपकी कोई शर्त स्वीकारने का तो मेरे लिये कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ग) श्री ए.के. अरूण, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली–63

समीक्षा–कभी कभी आपका ज्ञानतत्व (?)उलट लेता हूँ। इसबार अंक 203 पढ़ा तो लगा कि आपके ज्ञानतत्व में आपका कितना अज्ञान है जो गिना नहीं जा सकता। आपने शुरू में ही अपनी समझ का परिचय दे दिया इसलिये आपके ज्ञान और तत्व पर ज्यादा चर्चा करके वक्त जाया नहीं करूंगा।

भोपाल कान्ड की चर्चा आपने की है। आपकी बातों से स्पष्ट है कि आपके ज्ञान का आधार पेज–3 की अखबारी खबरे हैं। विश्लेषण और निष्कर्ष स्वरूप कही गयी बातें तो दिमागी खोखलेपन का अहसास करातीं हैं। अच्छा होता अपने पत्र का नाम ''बजरंगलाल की भड़ास'' रखते। यह इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लगा। मुझे आप मुफ्त में ही अपना ज्ञान तत्व भेजते हैं। माफ करिये मुफ्त की खाने और पढ़ने की मेरी वृत्ति नहीं है।

अपना ख्याल रखे और बुढ़ापे का दूसरा उपयोग करें।

उत्तर– ज्ञान तत्व पाक्षिक आपके पास कई वर्ष से निःशुल्क जाता रहा है। आमतौर पर हम निःशुल्क नहीं भेज पाते किन्तु आपको निःशुल्क इसलिये जाता है कि आप हमारे अज्ञान को ज्ञान में बदलने की क्षमता रखते हैं। आपका पिछले वर्ष भी एक पत्र मिला था। किन्तु आपने अपना ज्ञान नहीं दिया। इस बार तो आपने ज्ञान देने की जगह डांट ही देना उचित समझा। मैं आपकी अपेक्षा बहुत कम ज्ञान रखता हूँ तभी तो आपसे संवाद का इच्छुक हूँ किन्तु आप है कि अपनी विद्वता के धमंड में मुझे ज्ञान नहीं देना चाहते। आपने पत्र में जितना आक्रोश व्यक्त किया उसकी जगह मेरे गलत निष्कर्षो में से किसी पर तर्कपूर्ण समीक्षा लिख देते तो मुझे लाभ भी हो जाता और आपकी भाषा भी सुधर जाती। आपकी जैसी इच्छा।

आप निःशुल्क ज्ञान तत्व नहीं पढ़ना चाहते। यह बहुत अच्छी बात है। चूँकि आप ज्ञान तत्व पढ़ते ही हैं और निःशुल्क नहीं पढ़ना चाहते तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका शुल्क आ ही जायेगा। आपने मुझे अपना बुढ़ापा कहीं और उपयोग करने की सलाह दी है। मैं यदि बुढ़ापे में भी अज्ञान दूर नहीं कर सका तो कब कर पाउंगा? यदि आप जैसे नवजवान मेरे अज्ञान निवारण में काम आने को तैयार नहीं तो आपकी यह ज्ञान भण्डार पूर्ण जवानी किस काम की।

आपने मेरे विचारों को पेज 3 के विचार लिख कर मजाक उडाया है। आपको अपने मित्र कुमार प्रशांत के एण्डरशन संबंधी जनसत्ता में छपे लेख जिसकी मैंने समीक्षा की है वह कौन से पेज का है , यह भी बताना चाहिए था।

मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। आप उन प्रमुख लोगों में शामिल हैं जो समाज व्यवस्था में अग्रणी रूप से सक्रिय हैं। आपकी इतनी सक्रियता के बाद भी जैसा समाज बन पाया है वह सबके सामने हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, विषमता बढ़ती जा रही है। वर्ग विद्वेष भी बढ़ ही रहा हैं। हाथी द्वारा मार दिये गये सरगुजा जिले के ग्रामीण गरीब श्रमजीवी को सरकारी मुआवजा डेंढ़ लाख और उस पर भी सरकार का

पचीस तरह का अहसान। दूसरी ओर भोपाल गैस कांड के मृतक को मुआवजा दस लाख और उपर से आप जैसों की बढ़ाने की कोशिश। संदेह पैदा होता है कि कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं। संदेह इसलिये और मजबूत होता है कि प्रश्न उठते ही हमारे सक्रिय जवान आग बवूला होकर तर्क की जगह आवेश व्यक्त करने लगते हैं। मेरा आप पर इस संबंध में कोई आरोप नहीं था। आपको तर्कपूर्ण तरीके से मेरे गलत निष्कर्षो को स्पष्ट कर देना ही उचित होता। मैं सोचने को मजबूर हुआ कि कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं फंस गया? क्या कारण है कि आप जैसे निःस्वार्थ समाज में सक्रिय लोग सरकार संरक्षित हाथी द्वारा कुचले गये व्यक्ति के विषय में जानकारी भी रखना जरूरी नहीं समझते और भोपाल गैस त्रासदी के लिये पचीस वर्षो से जी जान लगाकर लगे हुए हैं। सरगुजा के गरीब ग्रामीण के प्रति इतनी निर्लिप्तता और भोपाल गैस कांड के प्रति अति सक्रियता हमारे संदेह का आधार है। यदि आपके पास उत्तर हो तो दीजियेगा अन्यथा आक्रोश व्यक्त करना मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

आप ज्ञान तत्व पढ़ते हैं। आप शुल्क नहीं भी भेजेंगे तब भी जायेगा ही। कभी तो आप मेरा अज्ञान दूर करने की पहल करेंगे। यदि आप ज्ञानतत्व को भोपाल गैस संबंधी विचार भेज सकें तो मेरे साथ साथ असम के भाई चितरंजन जी या दिल्ली के डाक्टर राम तीर्थ अग्रवाल की टीम सरीखे बड़ी मात्रा में अज्ञानियों को भी उसका लाभ मिल सकेगा।

2. श्री चितरंजन लाल भारती, पंचग्राम, असम–788802

''ज्ञान तत्व'' के अंक निरंतर मिल रहे हैं, धन्यवाद।

मैं आपके विचार बीसों वर्षो से पढ़ और चिंतन–मनन कर रहा हूँ। सबकी अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं, जिसे कुछ बंधन अथवा अनुशासन भी कहा जा सकता है। तथापि आपके विचार मुझे बीसों वर्ष से प्रेरणा देते और सत्य –मार्ग पर अटल रहने की सीख देते रहे हैं। अंक 201 में श्री आनंद जी का संस्मरण पढ़कर मुझे ऐसा ही कुछ लगा और स्वयं को पत्र लिखने से रोक नहीं पाया। वास्तव में उनका यह संस्मरण पूरी पुस्तक रूप में होना चाहिए।

अंक 203 में ''भोपाल गैस कांड और एन्डरसन'' संबंधी तथ्यों को जानकर और आपके विचार पढ़कर मेरी आंखें खुल गई कि ढोल के पीछे की कथा यह है, इसी तरह अनेक बार आपने मेरा मार्गदर्शन किया है। आपको शतशः नमन् ।

3. श्रीरामतीर्थ अग्रवाल,दिल्ली

ज्ञान तत्व दौ सौ तीन में एन्डरसन और भोपाल गैस संबंधी नई जानकारी मिली। आश्चर्य हुआ कि सारी जानकारी को मीडिया और राजनेताओं ने जानबूझकर गलत दिशा दी। हम कई मित्रों ने आपके लेख की विस्तृत समीक्षा की और समझा कि हाथी के मारने पर एक लाख का मुआवजे का ही प्रावधान हैं । आप यह भी बताने की कृपा करें कि परजीवियों ने जो अब भी आसमान सर पर उठाया हुआ है उनका उद्देश्य क्या है? आपने लेख लिखकर जो प्रश्न उठाये हैं उन पर अन्य विद्वानों के स्पष्टीकरण क्या आए यह बात भी स्पष्ट करें।

उत्तर– मुझे लेख के संबंध में बड़ी मात्रा में प्रशंसा के पत्र मिले। मुझे लगता था कि कुमार प्रशांत जी का उत्तर अवश्य मिलेगा किन्तु उनके स्थान पर उनके मित्र ए.के.अरूण जी ने जो स्पष्टीकरण दिया वह आपने पढ़ ही लिया। सच्चाई यह है कि परजीवियों को उक्त लेख से परेशानी पैदा हो गई है। लेख इतना स्पष्ट है कि किसी को उत्तर देते नहीं बन रहा है। उपर से आप सबकी प्रशंसा और जले पर नमक छिड़क रही है।

मैं जहॉ तक समझता हूँ कि भोपाल गैस कांड अब गैस पीड़ितों की समस्या से निकलकर परजीवियों के हाथ में जा चुकी है। गैस पीड़ितों की तो समस्या दूर हो सकती है किन्तु परजीवियों का पेट तो कोई छोटा मोटा नहीं। उसे तो सारे भारत का खजाना भी संतुष्ट नहीं कर सकता। उपर से राजनैतिक तिकडमबाजी भी शामिल हो गई है। अतः भोपाल गैस कांड अब दुर्घटना से निकलकर परजीवियों के व्यवसाय के रूप में देखना अधिक अच्छा होगा।

(घ) श्री मस्तराम कपूर, समाजवादी विचारक, दिल्ली।

प्रश्न– सत्तर वर्ष पूर्व जब अंग्रेज शासक थे तब उन्होंने भारत में जातिवार जनगणना सफलता पूर्वक सम्पन्न कराई थी। आज भारत में टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है और साधन भी। फिर क्या कारण है कि सरकार जातिवार जनगणना कराने से पीछे हट रही है?

उत्तर– प्रश्न यह नहीं है कि सरकार असफलता के डर से पीछे हट रही है। सही प्रश्न तो आप जैसे जनगणना समर्थकों से है कि सत्तर वर्ष पूर्व भारत में जाति कट्टरता आज की अपेक्षा बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने समाज में जातिवादी जहर घोलने के लिये जातिगणना का सहारा लिया। चौतरफा विरोध हुआ और अंग्रेजों ने आगे जनगणना नहीं कराई। यदि सत्तर वर्षो तक बिना जातिगणना के आराम से मिल जुलकर रहा जा सकता है तो अब क्यों नहीं? सत्तर वर्षो के बीच मस्तराम जी कपूर जैसे जातिवाद समर्थकों को कौन सी नई समस्या से दो चार होना पड़ा जिसके कारण उन्हें यह प्रश्न उठाना पड़ा? प्रश्न यह नहीं है कि सरकार यह कार्य करने में समर्थ है या नहीं। प्रश्न यह है कि सत्तर वर्षो के बाद इस भूत को जीवित करना क्यों आवश्यक है?

वेद प्रताप वैदिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में साहित्यकारों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके इस जातिगणना का विरोध किया। ये सब बधाई के पात्र हैं। सत्तर वर्ष पूर्व एक समय था जब धूर्त सवर्ण जातिवाद के पक्षधर थे और बेचारे अवर्ण अपनी जाति छुपाना उचित समझते थें। आज उल्टा है। धूर्त अवर्ण जातिवाद का बेशर्म समर्थन कर रहे हैं और बेचारे सवर्ण जाति छिपाने को मजबूर हैं। मैं नहीं समझा कि लाभ क्या हुआ? अत्याचार करने वालों का स्थान बदल गया। मस्तराम जी सरीखे लोग जातिवाद को मजबूत बनाये रखने का खतरनाक खेल खेलकर स्वयं को मजबूत भले ही कर लें किन्तु समाज को दीर्घ कालिक नुकसान ही करेंगे।

(च) श्री एम.जी.वैद्य,राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख, दिल्ली।

विचार– मुझे आश्चर्य होता है कि हिन्दू आतंकवाद शब्द इतनी जल्दी मीडिया में कैसे छा गया। कोई नहीं जानता कि यह शब्द किसने इजाद किया। कुछ लोग इसका श्रेय शरद पवार जी को देते हैं तो कुछ

अन्य कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जी को। अभिनव भारत अथवा सनातन संस्था को आधार बनाकर ऐसे आरोपों को हवा दी जाती है जबकि सच्चाई यह है कि अब तक न्यायालय से किसी को भी सजा नहीं हो पाई है।

जो लोग पहले तर्क देते थे कि आतंकवाद किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ना चाहिये क्योंकि आतंकवादी व्यक्ति होता है, धर्म नहीं। वही लोग अब हिन्दू आतंकवाद का प्रचार करने में संलग्न हैं। उनका उद्देश्य यह है कि वे मुस्लिम आतंकवाद को सुरक्षित कर सकें। सभी हिन्दू धार्मिक नेताओं को सक्रियता से ऐसे प्रचार का खंडन करना चाहिये। इंदिरा गांधी की हत्या के समय कई हजार सिखों के मारे जाने के बाद भी कांग्रेसी आतंकवाद शब्द का तो प्रचार नहीं हुआ था। फिर आज ऐसा प्रयत्न क्यों?

उत्तर– हिन्दू आतंकवाद शब्द पूरी तरह गलत भी है और प्रचलित भी नहीं है। आतंकवाद के साथ अभिनव भारत, सनातन संस्था तथा उसके शुभ चिन्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना ,विश्व हिन्दू परिषद , हिन्दू महासभा आदि कट्टरपंथी संगठनों का ही नाम जुड़ता है। मैं तो आप सबसे भी अधिक कट्टर हिन्दू माना जाता हूँ। इस्लाम के विरूद्ध मेरी टिप्पणियॉ कई जगह कोड की जाती है किन्तु मुझ पर तो ऐसा आरोप नहीं लगता। बाबा रामदेव जी या रविशंकर जी पर भी ऐसे आरोप अब तक नहीं लगे हैं। इसलिये हिन्दू कट्टरवाद शब्द आम हिन्दूओं के लिये चिन्ता की बात नहीं। आप जैसों के लिये तो अवश्य चिन्ता की बात है। यही कारण है कि आज आपको सफाई देनी पड़ रही है। अब तक तो संघ परिवार बिना मुकदमे का फैसला हुए ही मुस्लिम आतंकवादियों को दण्डित करने का पक्षधर रहा है किन्तु आज न्यायालय की बात उठनी शुरू की गई है। आज तक यदि आतंकवाद को मुस्लिम आतंकवाद शब्द के साथ जोड़ा जाता रहा है तो अब हिन्दू शब्द जुड़ना स्वाभाविक ही है। विचार करिये कि प्रज्ञा ठाकुर, पुरोहित, देवेन्द्र गुप्ता के आतंकवादी कारनामों के आरोपों में बड़ी संख्या में निर्दोष मुसलमान युवक कई कई माह तक जेलों की यातना भुगत चुके हैं। उनके कष्टों पर भी विचार करिये।

अच्छा हो कि आरोप प्रत्यारोप से हटकर आप अपने संघ परिवार का आत्मनिरीक्षण करें कि गांधी हत्या से लेकर आज तक आपके साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? आपको अपने प्रश्न का उत्तर अपने स्वयं के आत्म निरीक्षण से ही मिल जायेगा। भारत के आम हिन्दुओं की चिन्ता करने की अपेक्षा यदि आत्म निरीक्षण करते तो ज्यादा अच्छा होता ।

2.प्रश्न– संघ परिवार के लोगों ने स्टिंग आपरेशन के विरूद्ध टी.वी. चैनल ''आज तक'' के कार्यालय में तोड़ फोड़ की। संघ प्रमुख राम माघव, बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर तथा रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि टीवी चैनल ने संघ परिवार को बदनाम करने के उद्वेश्य से यह स्टिंग आपरेशन किया और प्रसारित किया। आपके विचार में संघ परिवार का हमला कितना उचित है?

उत्तर– संघ परिवार के लोग लगातार गलत दिशा में जा रहे हैं। न्यूज चैनल ने जो कुछ टी.वी. पर दिखाया वह मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सच है। इसमें बैकुंठलाल शर्मा प्रेम की बात दिखाई गई। श्री प्रेम भाजपा के दो बार सांसद रहे तथा इस चुनाव में भी भाजपा के उम्मीदवार रहे। उनका घर दिल्ली में मेरे कार्यालय से बिल्कुल निकट था और मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क भी था। मैं कह सकता हूँ कि वे हिंसा प्रोत्साहन के मामले में किसी भी सीमा तक जा सकते है। उनसे आतंकवादी हिंसा पर मेरी उग्र झड़प भी हो चुकी थी जिसके बाद उनसे मेरा सम्पर्क नहीं रहा।

आर0पी0 सिंह से मेरी प्रत्यक्ष भेंट नहीं हुई किन्तु मैं पूर्व से ही उनके संबंध में जानता रहा हॅं। दयानंद पांडे तो गिरफ्तार ही हैं। इन सबने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर हमले की जो चर्चा की वह सच हो सकती है।

दूसरी बात यह भी है कि टीवी पर दिखाई गई चर्चा किसी टीवी चैनल द्वारा प्रायोजित स्टिंग आपरेशन न होकर दयानन्द पांडे के लैपटाप में पाई गई बातचीत के अंश है। इन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह उन्हीं के लैपटाप से प्राप्त की गई है।

संघ परिवार द्वारा जिस तरह तोड़फोड़ और हिंसा का सहारा लेना आम बात हो गई है वह इनके जल्दी डूबने के लक्षण है। ये लोग इस तरह के कार्य जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही जल्दी समाप्त होंगे क्योंकि भारत की जनता ने हिंसा और आतंक के विरोध का मन बना लिया है। चिन्तित होने की कोई बात नहीं है। हमें तो सतर्कता यह रखनी है कि आतंक के तीन पर्याय नक्सलवादी, सिमी जेहादी, अभिनव भारत के तीन समर्थक संगठन साम्यवादी, मुसलमान, संघ परिवार हैं। इन तीनों में से किसी भी एक की सहायता से दूसरे आतंकवादी गुट को कमजोर न किया जाय। हमारा मानना है कि जब तक ये खुले रूप से आतंक का विरोध न करें तब तक इनके प्रति सतर्कता बरती जाय। साम्यवादी परिस्थितिवश नक्सलवाद की आलोचना करने लगे हैं किन्तु उग्रवाद पर उनका अब भी विश्वास है। संघ परिवार अब भी गोडसे के कार्य का प्रशंसक है भले ही अब वह अभिनव भारत से दूरी बढ़ा रहा है। मुस्लिम संगठन तो अब भी समाज की आंख में धूल झोंकने का आचरण ही कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आतंकवाद के साथ साथ उग्रवाद का भी विरोध करना शुरू कर दें। साथ ही किसी उग्रवादी संगठन द्वारा दूसरे उग्रवादी संगठन का विरोध करने में मदद न लें। हम उग्रवाद और आतंकवाद के विरूद्ध मोर्चा खोंले न कि इस्लाम, साम्यवाद या संघ परिवार के विरूद्ध। हमें साम्यवादी इस्लामिक तथा संघ पारिवारिक नेट वर्क को कमजोर करना है तो सर्वप्रथम इन तीनों से सतर्क रहने की आदत डालें और तीनों की लगातार समीक्षा करते रहें।

(छ) काश इंडिया

1.फूट डालो और राज करो

जबसे अंग्रेज भारत में आये तभी से फूट डालो और राज करो की नीति भी शुरू हुई। वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष इस नीति के कमानुसार आधार होते हैं। अंग्रेजों ने जाति और धर्म को फूट डालो और राज करो का मुख्य आधार बनाया था। स्वतंत्रता के बाद भी हमारे राजनेताओं को यह नीति बहुत पसंद आई। उन्होंने अंग्रेजों की इस नीति को और अधिक विस्तार दिया। अब उसमें छः नये आधार जोड़कर इनकी संख्या आठ कर ली गई है। जाति और धर्म तो पूर्व से थे ही, अब भाषा , क्षेत्रीयता , उम्र , लिंग, आर्थिक स्थिति, उत्पादक उपभोक्ता जैसे छः नये आधार जोड़ दिये गये हैं। सम्पूर्ण भारत के सभी राजनैतिक दल पूरी सक्रियता से आठों समाज तोड़क आधारों पर लगातार काम कर रहे हैं। कुछ राजनैतिक दलों ने तो किसी एक मुद्दे को अपना मूल आधार ही घोषित कर रखा है। साम्यवादी गरीब अमीर टकराव को, भाजपा हिन्दू मुस्लिम टकराव को, शिवसेना, राजठाकरे, डी.एम.के. ए.डी.एम.के. क्षेत्रवाद को, समाजवादी जातिवाद को मुख्य आधार बनाते हैं तो कांग्रेस समय समय पर आठों आधारों का समान उपयोग करते रहती है। सभी राजनैतिक दल लगातार वर्ग निर्माण के लिये नवे और दसवें आधार की भी तलाश कर रहे हैं

जिसमें ग्रामीण शहरी, विकसित अविकसित, सरकारी कर्मचारी और अन्य के बीच या श्रमजीवी बुद्धिजीवी के बीच बहुत अधिक अन्तर बनाकर दोनों के बीच वर्ग विद्वेष के प्रयत्न हो रहे हैं।

स्पष्ट है कि ये सभी प्रयत्न फूट डालो और राज करो की नीति के अन्तर्गत हैं। इसके अन्तर्गत पहले दो वर्गो के बीच दूरी को बढ़ाया जाता है। उसके बाद उस बढ़ी हुई दूरी का एक वर्ग को अहसास कराकर दूसरे के विरूद्ध खड़ा किया जाता हैं।तीसरे चरण में एक वर्ग को प्रत्यक्ष और दूसरे को अप्रत्यक्ष सहायता दी जाती है और जब विद्वेष संघर्ष का रूप लेने लगता है तब मध्यस्थ के रूप में राजनैतिक व्यवस्था हस्तक्षेप करके अपना लाभ उठाना शुरू कर देती है।

हमारा कर्तव्य है कि हम फूट डालो और राज करों की इस घातक योजना का पर्दाफाश करें और वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलें। इस संबंध में काश इंडिया डाट काम पर लगातार एक एक विषय पर चर्चा की जायेगी। आप पढ़े, प्रश्न करें तथा प्रचारित करें तो अच्छा होगा।

2.न्याय और कानून के बीच बढ़ती दूरी

सम्पूर्ण भारत में सोहराबुद्दीन कौशर बी फर्जी मुठभेड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। गुजरात के गृहराज्य मंत्री अमित शाह की गिरफ्तारी और मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी से भी पूछताछ की संभावनाओं ने चर्चा को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। कुछ बातें लगभग सिद्ध हो चुकी हैं।

1. सोहराबुद्दीन एक बड़ा अपराधी था किन्तु भारत की कानून व्यवस्था उसे अपराधी प्रमाणित करके दण्ड नहीं दे पाई।

2. गुजरात के पुलिस वालों ने गृहराज्य मंत्री और मुख्यमंत्री का आश्रय पाकर उस अपराधी को गैर कानूनी तरीके से फर्जी मुठभेड़ में मार गिराकर उसे दण्डित कर दिया।

3. गुजरात के पुलिस वालों तथा गृहराज्य मंत्री ने राजस्थान के बड़े व्यापारियों से उस अपराधी को मारने का सौदा भी किया था।

प्रश्न उठता है कि हमारी कानूनी न्याय व्यवस्था किसी अपराधी को बार बार निर्दोष घोषित कर दे और हमारी पुलिस गैर कानूनी तरीके से किसी अपराधी को फर्जी मुठभेड़ में मारकर समुचित दण्ड दे दे तो विचारणीय प्रश्न यह है कि हम कानूनी न्याय व्यवस्था का समर्थन करें या गैर कानूनी न्याय व्यवस्था का। कल्पना करिये कि हमारे शहर के नामी अपराधी को कोई सामान्य नागरिक भी गैर कानूनी तरीके से हत्या कर दे तो हम उक्त गैर कानूनी हत्या करने वाले का समर्थन करें या विरोध। मैंने किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए देखा है। मैं उसके डर से गवाही नहीं देता। वह व्यक्ति न्यायालय से छूट गया। मैं उसे अपराधी समझूँ या नहीं। अच्छी स्थिति तो यह होती कि न्याय और कानून के बीच दूरी घट जाती किन्तु यदि यह दूरी बढ़ ही जावे तो जब तक यह दूरी घटकर अपराधियों को कानून से दण्ड न देने लगे तब तक हमें अलग अलग मापदण्ड अपनाने चाहिये। यदि कानूनी न्याय व्यवस्था किसी अपराधी को निर्दोष घोषित कर दे तो उसका यह कार्य वास्तव में तो अपराध ही है भले ही गैर कानूनी न हो। दूसरी ओर यदि उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति या पुलिस फर्जी मुठभेड़ में मार गिरावे तो उसका यह कार्य गैर कानूनी तो है किन्तु अपराध नहीं। सोहराबुद्दीन अपराध करके भी बार बार कानूनी न्याय से निर्दोष सिद्ध हो रहा था तो उसका निर्दोष सिद्ध होना अपराध था और न्यायपालिका भी इस आरोप से नहीं बच सकती।दूसरी ओर उसे फर्जी मुठभेड़

में मार गिराना एक गैर कानूनी कार्य था और कानून उसे दण्डित करेगा ही। हमें न्याय और कानून के बीच की दूरी कम होते तक परिस्थिति अनुसार निर्णय करना चाहिये।